DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

22 January, 2024

भारत-म्यांमार मुक्त आवाजाही व्यवस्था

संदर्भ: *हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की, कि भारत सरकार ने व्यक्तियों की अनियंत्रित आवाजाही पर अंकुश लगाने के लिए पूरे भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का विकल्प चुना है।*

➢ **भारत-म्यांमार सीमा:** भारत और म्यांमार के बीच साझा सीमा लगभग 1,643 किलोमीटर लंबी है, जो मणिपुर, मिजोरम, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है।

➢ **मुक्त आवाजाही व्यवस्था (एफएमआर) समझौता:**

- इए एक्ट ईस्ट नीति के एक हिस्से के रूप में वर्ष 2018 में लागू किया गया था।
- एफएमआर के तहत, भारत-म्यांमार सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोग बिना वीजा के एक-दूसरे के क्षेत्र में 16 किमी की यात्रा कर सकते हैं।
- सीमा पार करने के लिए व्यक्तियों को एक वर्ष की वैधता वाले बॉर्डर पास की आवश्यकता होती है।
- वैध सीमा पास वाले लोग पड़ोसी देश में दो सप्ताह तक रह सकते हैं।

➢ **एफएमआर के लिए ऐतिहासिक संदर्भ और तर्क:**

- वर्ष 1826 में अंग्रेजों द्वारा सीमांकित की गई सीमा ने जातीय और सांस्कृतिक रूप से जुड़े समुदायों को उनकी सहमति के बिना विभाजित कर दिया।
- एफएमआर का उद्देश्य लोगों से लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना, स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देना और ब्रिटिश द्वारा खींची गई सीमा द्वारा बनाए गए ऐतिहासिक विभाजन को कम करना है।

➢ **एफएमआर से जुड़ी आलोचना और चिंताएँ:**

- आप्रवासन, मादक पदार्थों की तस्करी और अनजाने में अवैध गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए एफएमआर को आलोचना का सामना करना पड़ता है।
- वर्तमान में मणिपुर सीमा के 6 किमी से भी कम हिस्से में बाड़ लगाई गई है, जिससे अवैध गतिविधियों की निगरानी और नियंत्रण में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

➢ **जातीय संघर्ष और प्रवासन गतिशीलता:**

- इस समय मणिपुर में मेइतेई और कुकी के बीच चल रहे जातीय संघर्ष; रोहिंग्या शरणार्थी संकट और म्यांमार में सैन्य तख्तापलट जैसी घटनाओं से और भी बढ़ गए हैं।
- आश्रय की तलाश में म्यांमार के आदिवासियों की भारत में आगमन ने अवैध प्रवासन की चिंताएं बढ़ा दी है।

➢ **अवैध प्रवास के मुद्दे:** मणिपुर में म्यांमार से आने वाले अवैध प्रवासियों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे नए गांवों की स्थापना के कारण पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में तनाव और चिंताएं पैदा हो रही हैं।

➢ **नशीली दवाओं की तस्करी और आतंकवाद का गठजोड़:**

- झरझरी सीमाओं और एफएमआर के दुरुपयोग से यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) सहित विद्रोही समूहों को म्यांमार में काम करने की प्रवृति बढ़ी है।
- इस क्षेत्र में नशीली दवाओं से संबंधित मामलों में वृद्धि देखी गई है, जिसमें हेरोइन, अफ़ीम, ब्राउन शुगर, गांजा, क्रिस्टल मेथ और प्रिस्क्रिप्शन दवाओं सहित बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं।

➢ **एफएमआर को निलंबित करने का प्रभाव:**

- म्यांमार में बढ़ते संकट के बीच सितंबर 2022 में एफएमआर को निलंबित कर दिया गया था।
- सुरक्षा विशेषज्ञ स्थानीय आजीविका और स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के लिए आवश्यक यात्रा पर संभावित प्रभाव को देखते हुए, पूर्ण निष्कासन के बजाय बेहतर विनियमन की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं।

➢ **सीमा प्रबंधन में चुनौतियाँ:**

- सीमा पर केवल बाड़ लगाना एक व्यापक समाधान नहीं हो सकता है, क्योंकि बिना बाड़ वाले इलाके प्रभावी निगरानी और नियंत्रण में कठिनाइयाँ उत्पन्न करते हैं।
- मजबूत गश्त और खुफिया प्रयासों के बावजूद, अवैध गतिविधियां जारी हैं, जो सीमा सुरक्षा की जटिल प्रकृति पर जोर देती हैं।

वन्य जीव व्यापार नियमों में नये संशोधन

संदर्भ: *अद्यतन नियमों में, केंद्र सरकार ने वन्यजीव व्यापार के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया से कुछ प्रजातियों को हटा दिया है। यह परिवर्तन चार दशकों की अवधि के बाद लागू किया गया है।*

➢ **संशोधित वन्यजीव व्यापार नियम (2024):**

- सरकार ने 16 जनवरी, 2024 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें वन्यजीव व्यापार में लाइसेंस के लिए संशोधित दिशानिर्देश पेश किए गए।
- ये नियम साँप के जहर, बंदी जानवरों, ट्रॉफी जानवरों और भरवां जानवरों से जुड़े हितधारकों को कवर करते हैं।

➢ **प्रभावशीलता और संशोधन:**

- वर्तमान संशोधित नियम 16 जनवरी को लागू हुआ, जो 1983 के बाद का पहला अद्यतन था।
- पहले के नियमों में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची I या अनुसूची II के भाग II के जंगली जानवरों के व्यापार के लिए लाइसेंस पर रोक थी।

➢ **संशोधित दिशानिर्देश:**

- अनुसूची I जानवरों के लिए लाइसेंस अब केवल केंद्र सरकार के साथ पूर्व परामर्श के बाद ही दिए जा सकते हैं।
- लाइसेंस देने के लिए अतिरिक्त विचारों में आवेदक की क्षमता, आपूर्ति का स्रोत और तरीका, क्षेत्र में मौजूदा लाइसेंस और जंगली जानवरों के शिकार या व्यापार पर प्रभाव शामिल हैं।

➢ **अस्पष्ट अनुसूची II प्रतिबंध:**

- वर्तमान अधिसूचना यह नहीं बताती है, कि अनुसूची II प्रजातियों पर प्रतिबंध क्यों हटाया गया है।
- 2022 में, केंद्र सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया था, चार अनुसूचियों को दो में विलय कर दिया और इसे छह से घटाकर चार कर दिया।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

अनुसूची I और अनुसूची II का भाग II	ऐसे जानवर जो लुप्तप्राय प्रजातियों की श्रेणी में हैं। इन्हें शिकार से पूर्ण सुरक्षा दी जाती है। जैसे टाइगर
अनुसूची III और IV	इनमें भी लगभग धारा I और II के समान प्रावधान हैं, लेकिन इसमें वे जानवर शामिल हैं जिनके विलुप्त होने का खतरा नहीं है।
अनुसूची V	मुख्य वन्यजीव वार्डन की पूर्व अनुमति से बत्तख और हिरण जैसे जानवरों का शिकार किया जा सकता है।
VI अनुसूची	खेती और पौधों के जीवन की चिंता करता है और अधिक संरक्षित पशु पार्क स्थापित करने पर ज़ोर देता है।

➢ **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972:**

- इसे भारत में वन्य जीवन और जैव विविधता की रक्षा के लिए अधिनियमित किया गया।
- यह अनुसूचियाँ आवश्यक सुरक्षा के स्तर के आधार पर जानवरों और पौधों को वर्गीकृत करती हैं।

➢ **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूचियां:**

- **अनुसूची II के अंतर्गत सूचीबद्ध कुछ जानवर:**
  - **पक्षी:** गौरैया, बुलबुल, बत्तख, हंस, उल्लू, चील, बाज़, प्रिंसिया आदि।
  - **सरीसृप:** साँप, कछुए आदि।
  - **स्तनधारी**: हिरण, खरगोश, चूहे, लंगूर आदि।
  - **उभयचर**: मेंढक आदि।

वैश्विक वन्यजीव व्यापार:

➢ विश्व वन्यजीव रिपोर्ट 2020 के अनुसार, 1999-2018 तक वैश्विक स्तर पर वनस्पतियों और जीवों की लगभग 6,000 प्रजातियों को जब्त कर लिया गया।

दावोस शिखर सम्मेलन 2024

संदर्भ: *विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 15 से 19 जनवरी तक में दावोस हुई, जिसमें वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए नेताओं को एक मंच पर लाया गया।*

➢ **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई):**

- मानव कल्याण के लिए इसकी परिवर्तनकारी क्षमता पर चर्चा के साथ एआई एक केंद्रीय विषय के रूप में उभरा है।
- इन विषयों में विनियमन की आवश्यकता, रोजगार की हानि के बारे में चिंताएं, प्रतिरूपण और गलत सूचना के जोखिम और उसके संभावित परिणाम शामिल थे।
- तथापि विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक ने यह निष्कर्ष निकाला कि एआई के लाभ नकारात्मकताओं से कहीं अधिक हैं।

➢ **युद्ध और अनिश्चितता:**

- व्यापारिक नेताओं ने भू-राजनीतिक समस्या, मध्य पूर्व और यूरोप में संघर्ष, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए खतरे और खाद्य सुरक्षा अनिश्चितताओं के बारे में चिंता व्यक्त की।
- शांति के लिए कोई स्पष्ट योजना या रोडमैप, विशेष रूप से इज़राइल-गाजा हिंसा के संबंध में, पेश नहीं किया गया।
- प्रतिभागियों ने उक्त मुद्दों की जटिलता को स्वीकार किया।

➢ **जलवायु परिवर्तन:**

- बहुआयामी व्यवसायों से पृथ्वी के अस्तित्व के संकट पर जोर देते हुए जलवायु परिवर्तन के अनुरूप ढलने का आग्रह किया गया।
- कई मतभेदों के बावजूद जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक एकता का आह्वान चर्चा का मुख्य विषय था।
- बढ़ती असमानताओं को दूर करने के लिए विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई को आर्थिक रूप से समर्थन देने के लिए विकसित देशों की आवश्यकता पर बल दिया गया।

➢ **चीन की अर्थव्यवस्था:**

- धीमी अर्थव्यवस्था और पश्चिमी देशों द्वारा इसे अलग-थलग करने के प्रयासों के बीच चीन का लक्ष्य पश्चिमी निवेश को अधिक आकर्षित करना है।
- वर्ष 2023 में चीन की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 5.2% रही, जो महामारी-पूर्व स्तर से नीचे रही, जिससे संरचनात्मक आर्थिक चुनौतियों से निपटने के प्रयासों को बढ़ावा मिला।
- विभिन्न चुनौतियों के बावजूद, WEF में भाग लेने वाली कंपनियों के लिए चीन की वृद्धि व्यापक महत्व रखती है।

➢ **भारत की भूमिका:**

- सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में भारत के परिवर्तन पर प्रकाश डाला गया।
- प्रौद्योगिकी, प्रतिभा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य क्षेत्रों में भारत की क्षमता की ओर ध्यान आकर्षित किया गया।
- WEF 2024 में भारत का उदय एक उल्लेखनीय विषय है, जिसमें देश के आर्थिक और रणनीतिक महत्व पर जोर दिया गया है।

➢ **विशेष उल्लेख; लैंगिक समानता के लिए भारत का वैश्विक गठबंधन:**

- WEF में लैंगिक समानता के लिए ग्लोबल गुड अलायंस शुरू करने की भारतीय पहल की घोषणा की गई।
- यह गठबंधन महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यम पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसका लक्ष्य 2040 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था को वर्षिक 1 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ावा देना है।
- इस पहल को G20 नेताओं की घोषणा के अनुरूप, WEF और भारत सरकार दोनों से समर्थन प्राप्त है।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

चाकलीया समुदाय और माधिका भाषा

हाल ही में, यह पता चला है कि के.पी. नारायणन और उनकी भतीजी राजपुत्री जो केरल के कन्नूर जिले में चाकलीया समुदाय से संबंध रखते हैं, माधिका भाषा के अंतिम धाराप्रवाह वक्ता हैं। उनके बाद यह लिपिविहीन भाषा दुनिया से विलुप्त हो जाएगी।

चाकलीया समुदाय (Chakaliya Community) के बारे में:

- चाकलीया समुदाय एक खानाबदोश समुदाय है और वे तिरुवेंकटरामन और मरियम्मा के उपासक हैं।
- अतीत में उन्हें अछूत माना जाता था और विवाह और अंतिम संस्कार से जुड़े भोज में भाग लेने की अनुमति नहीं थी।
- वे कई सदियों पहले कर्नाटक के पहाड़ी क्षेत्रों से उत्तरी मालाबार चले आए थे।
- वे कम संख्या में पलकुन्नू, कूक्कनां, प्रांथनचल और एझिलोदे जैसे क्षेत्रों में रहते हैं।
- उन्हें शुरू में एक अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई थी बाद में उन्हें अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया गया।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

	माधिका भाषा: ■ माधिका केरल के कन्नूर जिले की एक लुप्तप्राय: भाषा है। ■ मलयालम के प्रभुत्व के कारण विलुप्त होने का सामना कर रही है और इसका उचित दस्तावेजीकरण नहीं हो पाया है। ■ चाकलीया समुदाय माधिका का संरक्षक है। ■ माधिका की कोई लिपि नहीं है यह पूरी तरह से मौखिक है। ■ यह तेलुगु, तुलु, कन्नड़ और मलयालम के प्रभावों को शामिल करने वाली एक भाषाई मिश्रण की विशेषता है। ■ मुख्य रूप से हव्यका कन्नड़, कन्नड़ के एक प्राचीन रूप से प्रभावित। ■ चाकलीया समुदाय को ऐतिहासिक सामाजिक कलंक और भेदभाव का सामना करना पड़ा।
मच्छर मछली (Mosquitofish) 	विशाखापट्टनम के अधिकारियों ने कुछ महीने पहले 20 लाख मच्छर मछली छोड़ने के बाद हाल ही में छह लाख अतिरिक्त मछलियों को छोड़ने की योजना बनाई है। **मच्छर मछली के बारे में:** ■ मच्छर मछली (गम्बुसिया एफिनिस) छोटी, मछलियां हैं जो सफेद या भूरे रंग की होती हैं। ■ उनकी एक गोल पूंछ, एक छोटा शरीर, एक चपटा सिर और एक मुंह होता है जो सतह पर खिलाने के लिए ऊपर की ओर इशारा करता है। ■ वे उथले, घिरे हुए ताजे और खारे पानी की विशेषता हैं, जिसमें दलदल शामिल हैं। ■ उन्हें मच्छरों के जैव नियंत्रण एजेंट के रूप में जाना जात है। ■ वे पर्यावरण की ऐसी परिस्थितियों का सामना कर सकती हैं जो देशी मछलियां नहीं कर सकतीं जैसे उच्च तापमान और कम ऑक्सीजन। ■ 1928 में ब्रिटिश शासन के दौरान मलेरिया नियंत्रण के लिए भारत में मच्छर मछली को प्रस्तुत किया गया था। ■ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1982 में गम्बुसिया की सिफारिश करना बंद कर दिया। ■ भारत ने इसे 2018 में आक्रामक प्रजाति के रूप में नामित किया।
मपेम्बा प्रभाव 	हाल ही में आधुनिक वैज्ञानिकों ने मपेम्बा प्रभाव पर ध्यान देना शुरू किया है हालांकि ऐतिहासिक हस्तियों ने पहले ही इसका उल्लेख किया था। **मपेम्बा प्रभाव (Mpemba Effect) के बारे में:** ■ मपेम्बा प्रभाव एक ऐसी घटना है जहां एक गर्म जल प्रणाली उसी प्रणाली की तुलना में तेजी से ठंडी हो जाती है जो ठंडे तापमान पर शुरू होती है। ■ इसका नाम तंजानियाई गेम वार्डन एरास्टो बार्थोलोमियो एमपेम्बा के नाम पर रखा गया है जिन्होंने 1969 में इस घटना की खोज की थी।। ■ यह प्रभाव प्रति-सहज ज्ञान युक्त है और अरस्तू के समय से देखा गया है। ■ इसे कई प्रायोगिक अवलोकनों में संक्रमण समय द्वारा परिभाषित किया गया है। उदाहरण के लिए यदि गर्म पानी 99.9°C पर शुरू होता है और ठंडा पानी 0.01°C पर शुरू होता है, तो ठंडा पानी पहले जम जाएगा।
सुर्खियों में स्थल **अरिचल मुनाई**	हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के अरिचल मुनाई पहुंचे और उस स्थान पर पुष्पांजलि अर्पित की जहां माना जाता है कि भगवान राम ने लंका तक पहुंचने के लिए एक पुल का निर्माण किया था। **अरिचल मुनाई के बारे में :** ■ अरिचल मुनाई का नाम तमिल शब्दों "अरि" (धनुष) और "मुनाई" (सिरा) से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है "धनुष का अंत"। ■ अरिचल मुनाई हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ■ कहा जाता है कि **अरिचल मुनाई** वह स्थान है जहां राम सेतु का निर्माण हुआ था। राम सेतु को 'एडम ब्रिज' के नाम से भी जाना जाता है। ■ अरिचल मुनाई तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में एक तटीय शहर है। यह धनुषकोडी के अंतिम छोर पर स्थित है जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ■ अरिचल मुनाई लुभावने समुद्र तट, तेज लहरों,आकर्षक पर्यटक स्थल के लिए प्रसिद्ध है। ■ वह बिंदु जहां बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर मिलते हैं यह श्रीलंका केवल 15 किलोमीटर दूर है। ■ यह क्षेत्र चक्रवात और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त है। 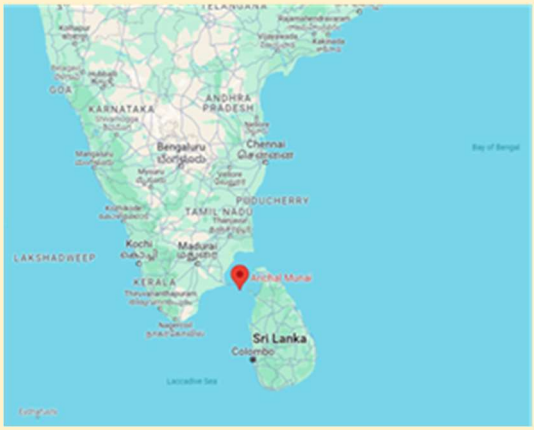

सुर्खियों में स्थल

सेनेगल

हाल ही में, यह पता चला है कि सेनेगल की गुलाबी झील (रेटबा झील या लाख रोसे) नाइट्रेट के स्तर में अचानक वृद्धि के कारण विलुप्त होने के कगार पर है।

सेनेगल (राजधानी: डकार)

अवस्थिति : सेनेगल पश्चिम अफ्रीका का एक देश है जो महाद्वीप के सबसे पश्चिमी बिंदु पर स्थित है। यह सेनेगल-मॉरिटेनियन बेसिन के नाम से जाने वाले अवसाद में भी स्थित है।

भौगोलिक सीमाएं: सेनेगल की सीमाएं माली (पूर्व), अटलांटिक महासागर (पश्चिम), मॉरिटानिया (उत्तर), गिनी (दक्षिण), गाम्बिया (दक्षिण-पूर्व) और गिनी-बिसाउ (दक्षिण-पश्चिम) से लगती हैं।

भौतिक विशेषताएं:

- बाउनेज रिज सेनेगल का सबसे ऊंचा स्थान है।
- सेनेगल और सैलूम सेनेगल की प्रमुख नदियां हैं।
- गैलाकौटो सेनेगल का सबसे प्रमुख पर्वत है।
- सेनेगल में फॉस्फेट, चूना पत्थर, सोना और जिरकोन जमा जैसा कुछ महत्वपूर्ण खनिज भी पाए जाते हैं।

POINTS TO PONDER

- चंदका-डम्पारा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, जो हाल ही में सुर्खियां बना रहा है? - **ओडिशा**
- हाल ही में खबरों में रहा कौन सा देश "ग्रीन रूम" से जुड़ा है? - **यूक्रेन**
- ई-मोबिलिटी सिमुलेशन लैब की स्थापना के लिए अल्टेयर ने किस आईआईटी के साथ सहयोग किया? - **आईआईटी मद्रास**
- कौन सी संस्था वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ए. एस. ई. आर.) प्रकाशित करती है - **एनजीओ प्रथम फाउंडेशन**
- क्रोन रोग में, जो एक प्रकार का सूजन आंत्र रोग (आईबीडी) है, कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? - **छोटी आंतें**